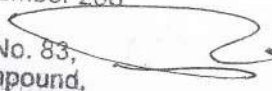


Name: RAJEEV SHISHODIA
License Number 268
Signature: 
Chamber No. 83,
Tehsil Compound,
Gandhi Nagar, Ghaziabad



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

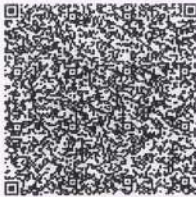
Certificate No. : IN-UP54974430357221T
Certificate Issued Date : 26-Mar-2021 02:15 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14000704/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1400070497149365518937T
Purchased by : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : PLOT NO.-7C/COM-08 SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.) :
First Party : UP AWAS EVAM VIKAS PARISHAD GHAZIABAD
Second Party : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.) : 71,32,000
(Seventy One Lakh Thirty Two Thousand only)

Verified By

R. Clerk

for

Ghaziabad



Please write or type below this line

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

व्यावसायिक भूखण्ड के लिए किराया-किस्त कय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 30 माह मार्च वर्ष 2021 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका

सहायक आवास आयुक्त
आवास एवं विकास परिषद
बसुन्धरा, गाजियाबाद

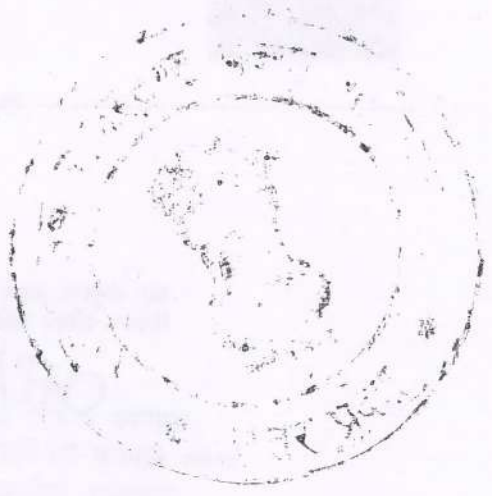
For Shalviya Realtors Pvt. Ltd.

G. K. Sharma

RS 0004034585

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shclsestamp.com' or using e-Stamp Mobile App or Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



SECRET

SECRET



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

स्टाम्प विक्रेता
श्रीमती शोभा रावत
लाइसेन्स नं०-472

Certificate No. : IN-UP55511667922923T
Certificate Issued Date : 27-Mar-2021 01:06 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14071604/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1407160498392116781181T
Purchased by : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : PLOT NO-7C/COM-08, SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD, U.P.
Consideration Price (Rs.) :
First Party : UP AWAS EVAM VIKAS PARISHAD GHAZIABAD
Second Party : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By : SHALVIYA REALTORS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.) : 5000
(Five Thousand only)

Verified By

Registration Clerk

Code

Looked By

Sub-Registrar-V
Ghaziabad



Please write or type below this line

प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतत्पश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अर्न्तगत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है माध्यम से होता है।

उपस्थित आवास आयुक्त

उपस्थित आवास एवं विकास परिषद

बसुन्धरा, गाजियाबाद

For Shalviya Realtors Pvt. Ltd.

Shalviya Realtors Pvt. Ltd.

QT 0001330965

Statutory Seal

This e-stamp is valid only if it is verified at www.shalviya.com or any other portal which is authorized by the Government of Uttar Pradesh. Certificate and any other stamp of the Government of Uttar Pradesh are not valid without this e-stamp.

INDIA RENEWABLE ENERGY

Department of Energy

Ministry of Power

Director General of Hydro Power

Hydro Power Division

Hydro Power Section

Hydro Power Sub-section

Hydro Power Unit

Hydro Power Project

Hydro Power Scheme

Hydro Power System

Hydro Power Plant

Hydro Power Station

Hydro Power Facility

Hydro Power Infrastructure

Hydro Power Development

Hydro Power Construction

Hydro Power Operation

Hydro Power Maintenance

Hydro Power Management

Hydro Power Administration

Hydro Power Supervision

Hydro Power Control

Hydro Power Regulation

Hydro Power Monitoring

Hydro Power Inspection

Hydro Power Audit

Hydro Power Review

Hydro Power Evaluation

Hydro Power Assessment

Hydro Power Analysis

Hydro Power Investigation

Hydro Power Research

Hydro Power Innovation

Hydro Power Technology

Hydro Power Engineering

Hydro Power Design

Hydro Power Construction

Hydro Power Operation

Hydro Power Maintenance

Hydro Power Management

Hydro Power Administration

Hydro Power Supervision

Hydro Power Control

Hydro Power Regulation



Dr. J. P. Singh

Secretary



[2]

एक पक्ष और मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री शम्मी पुत्र श्री बिजेन्द्र निवासी-51, औरंगाबाद रिस्तल गाजियाबाद 201003 जिसे एतत्पश्चात् किराया-किश्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया है।

Handwritten signature

पुस्तक सहायक मंत्र विकास मंत्रालय
दिल्ली, गजियाबाद



आवेदन सं०: 202100739040713

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1381

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 50977170 स्टाम्प शुल्क- 7137000 बाजारी मूल्य - 101955000 पंजीकरण शुल्क - 1019550 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 1019690

श्री मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० द्वारा
शम्मी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बिजेन्द्र
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 51 ओरगाबाद रिस्तल गाजियाबाद

Sharma



श्री मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
31/03/2021 एवं 01:59:19 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

शम्मी अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Handwritten signature

रघुवीर सिंह प्रभारी
उप निबंधक सदर पंचम
गाजियाबाद
31/03/2021

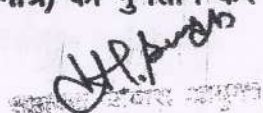
गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक



[3]

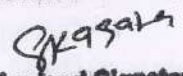
चूंकि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना के अधीन किराया-किश्त कंता ने स्वामी से किराया-किश्त कय योजना के अधीन एक व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिए प्रथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त कंता को व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि व्यावसायिक भूखण्ड सं०-७सी/कॉम-०८ का कुल मूल्य है ₹०-१०,१९,५४,३४०.०० (रूपया दस करोड उन्नीस लाख चौवन हजार तीन सौ चालीस मात्र) जिसका आधा ₹०-५,०९,७७,१७०.०० (रूपया पाँच करोड नौ लाख सतहत्तर हजार एक सौ सत्तर मात्र) होता है। किराया-किश्त कंता ने अग्रिम धनराशि के साथ भूखण्ड मूल्य का ५० प्रतिशत धनराशि ₹०-५०९७७१७०.०० (रूपया पाँच करोड नौ लाख सतहत्तर हजार एक सौ सत्तर मात्र) का भुगतान कर दिया है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
मुख्यालय, गान्धीनगर

For Shalviya Realtors Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1381

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

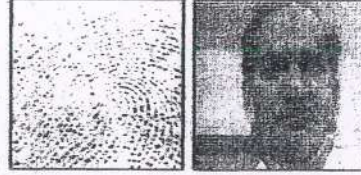
श्री हेतमपाल सिंह सहायक आवास आयुक्त के द्वारा
ब्रिजनेश शर्मा, पुत्र श्री के०डी० शर्मा

निवासी: आवास विकास कार्यालय गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

B. Sharma



श्री मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० के द्वारा शम्मी,
पुत्र श्री बिजेन्द्र

निवासी: 51 ओरगाबाद रिस्तल गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

S. Sharma



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री सुमित कसाना, पुत्र श्री ओमप्रकाश कसाना

निवासी: 77 ओरगाबाद रिस्तल गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

S. Sharma

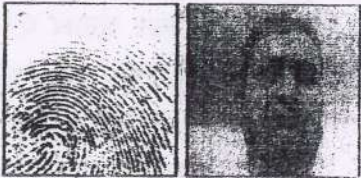


श्री दीपक कुमार, पुत्र श्री महेन्द्र दत्त

निवासी: वी०पी०ओ०बादशाहपुर सिरौली गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

D. Kumar



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

11/11/2021 11:11:11

न की प्रत्यक्षता: मद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।

11/11/2021 11:11:11

रघुवीर सिंह प्रभारी
उप निबंधक: सदर पंचम
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक



For :

Authorized Signatory

[4]

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त क्रेता भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थातः किराया-किश्त-क्रेता को व्यावसायिक भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी व्यावसायिक भूखण्ड सं०-7सी/कॉम-08 है और जो सिद्धार्थ विहार योजना मे सेक्टर संख्या-7 में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगे दी गई अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

1 किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में किराया-किश्त क्रय अवधि तक गृहीत करेगा जो 10 छमाही किश्ते नियत अवधि तक होगी अर्थात किश्त वर्ष 2020 के अप्रैल माह के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होगी और वर्ष 2025 के मार्च मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी।

Handwritten signature 'H Singh' and a stamp with text in Hindi and English, including 'Bono 372' and '20/12/2019'.

For Shakti Singh & Co. Pvt. Ltd.

Handwritten signature 'H Singh' and a stamp with text 'Authorized Signatory'.

104



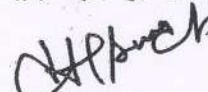
105

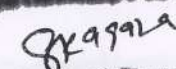
106

[5]

2 किराया-किश्त क्रेता स्वामी की ओर से किसी मांग के बिना किराया-किश्त अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक छमाही के प्रथम दिनांक को केवल रू0-67,64,670.00 (रू0 सडसठ लाख चौसठ हजार छः सौ सत्तर मात्र) की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्त का भुगतान करेगा जोकि प्रत्येक मास की प्रथम दिनांक से अन्तिम दिनांक तक जमा की जा सकती है।

(क) किराया-किश्त-क्रेता रू0-67,64,670.00 (रू0 सडसठ लाख चौसठ हजार छः सौ सत्तर मात्र) की छमाही किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उस माह के बाद जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में या निदिष्टि स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त क्रेता द्वारा किया जायेगा और जिसे माह 4/2020 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाये और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 4/2020 के माह के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त कय की अवधि तक देय हो जाये या भुगतान योग्य हो जाये।


सहायक जागरण आयुक्त
संसाधन एवं निवास परिषद्
बनारस, उत्तर प्रदेश

For Shakti Housing Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

WINDING INSTRUCTIONS

[6]

(क) किराया-किश्त केता को नियमानुसार भूमि मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में निर्धारित तिथि तक देय होगी अथवा किराया-किश्त केता द्वारा भूमि मूल्य को 12 प्रतिशत धनराशि भूमि मूल्य में समाहित है।

(ख) किराया-किश्त केता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करो, फीस, प्रभार, निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहें वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गई उक्त सम्पत्ति पर लगाई गई हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-केता स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत कर दिया जाये, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप मानने की शक्ति होगी।

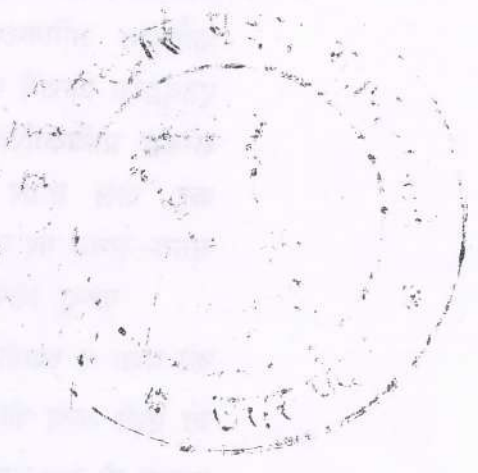
सहायक अधिकारी आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं निवास परिषद
वृत्त, ...

For Shahiya Estates P.A. Ltd.
Authorized Signatory

100

THE

THE



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

[7]

(ग) किराया-किश्त केता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्ही ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी है) स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

(घ) किराया-किश्त केता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति की भीतरी किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यावसायिक भूखण्ड के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक-कण्टक हो और जो उस प्रोजन के अनुरूप न हो जिसके लिए योजना बनाई गई।

सहायक अधिकारी आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
दिल्ली, २०/११/७७

For Shakti Engineers Pvt. Ltd.

AK 99 21-7
Authorized Signatory

1971

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States of America.



For Signature: [Signature]

Authorized Signature

[8]

(इ) किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किन्ही व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त केता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित नियम करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता हैं।

(च) किराया-किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप-लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिए कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त

सहायक निरीक्षक आयुक्त
३०३० अमरा एन विजय परिषद्
बहुपद, गति-संकेत

For Shakti Engineering Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

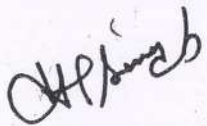
[9]

सम्पत्ति मे बिछाई गई किसी सर्विस लाइन से किन्ही अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(छ) किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया-किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।



सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
बलुआ, पश्चिम बंगाल

For Shaktiya Realtors Pvt. Ltd.

SK99912
Authorized Signatory

[10]

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थित अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनो और शर्तो से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैद्य या अनुमन्य नहीं होगा जहाँ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(झ) किराया-किश्त केता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

(ट) किराया-किश्त केता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

सहायक अधिकारी आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विद्युत परिषद्
दुधौ, उत्तरप्रदेश

For Shaktiya Real Estate Pvt. Ltd.
S. K. Agarwal
Authorized Signatory

1017

very much the same as the other two, but the first is the most common, and the second is the most rare. The third is the most common, and the fourth is the most rare. The fifth is the most common, and the sixth is the most rare. The seventh is the most common, and the eighth is the most rare. The ninth is the most common, and the tenth is the most rare. The eleventh is the most common, and the twelfth is the most rare. The thirteenth is the most common, and the fourteenth is the most rare. The fifteenth is the most common, and the sixteenth is the most rare. The seventeenth is the most common, and the eighteenth is the most rare. The nineteenth is the most common, and the twentieth is the most rare. The twenty-first is the most common, and the twenty-second is the most rare. The twenty-third is the most common, and the twenty-fourth is the most rare. The twenty-fifth is the most common, and the twenty-sixth is the most rare. The twenty-seventh is the most common, and the twenty-eighth is the most rare. The twenty-ninth is the most common, and the thirtieth is the most rare. The thirty-first is the most common, and the thirty-second is the most rare. The thirty-third is the most common, and the thirty-fourth is the most rare. The thirty-fifth is the most common, and the thirty-sixth is the most rare. The thirty-seventh is the most common, and the thirty-eighth is the most rare. The thirty-ninth is the most common, and the fortieth is the most rare. The forty-first is the most common, and the forty-second is the most rare. The forty-third is the most common, and the forty-fourth is the most rare. The forty-fifth is the most common, and the forty-sixth is the most rare. The forty-seventh is the most common, and the forty-eighth is the most rare. The forty-ninth is the most common, and the fiftieth is the most rare. The fifty-first is the most common, and the fifty-second is the most rare. The fifty-third is the most common, and the fifty-fourth is the most rare. The fifty-fifth is the most common, and the fifty-sixth is the most rare. The fifty-seventh is the most common, and the fifty-eighth is the most rare. The fifty-ninth is the most common, and the sixtieth is the most rare. The sixty-first is the most common, and the sixty-second is the most rare. The sixty-third is the most common, and the sixty-fourth is the most rare. The sixty-fifth is the most common, and the sixty-sixth is the most rare. The sixty-seventh is the most common, and the sixty-eighth is the most rare. The sixty-ninth is the most common, and the seventieth is the most rare. The seventy-first is the most common, and the seventy-second is the most rare. The seventy-third is the most common, and the seventy-fourth is the most rare. The seventy-fifth is the most common, and the seventy-sixth is the most rare. The seventy-seventh is the most common, and the seventy-eighth is the most rare. The seventy-ninth is the most common, and the eightieth is the most rare. The eighty-first is the most common, and the eighty-second is the most rare. The eighty-third is the most common, and the eighty-fourth is the most rare. The eighty-fifth is the most common, and the eighty-sixth is the most rare. The eighty-seventh is the most common, and the eighty-eighth is the most rare. The eighty-ninth is the most common, and the ninetieth is the most rare. The ninety-first is the most common, and the ninety-second is the most rare. The ninety-third is the most common, and the ninety-fourth is the most rare. The ninety-fifth is the most common, and the ninety-sixth is the most rare. The ninety-seventh is the most common, and the ninety-eighth is the most rare. The ninety-ninth is the most common, and the hundredth is the most rare.



1017

1017

[11]

(ठ) उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता।

(ड) किराया किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि व्यावसायिक भूखण्ड उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया-किश्त क्रेता का

यह कर्तव्य होगा कि वह भवन का पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग बल जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा

सहायक अवरिष आर्युक्त
न०१० आवास एवं विकास परिषद्
अनुमोदित, गण्डियाबाद

For Shaktiashish Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States
and is entitled to the rights and
privileges of citizenship.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto
set my hand and the seal of the
Department of State, at Washington,
this [Date] day of [Month], 19[Year].
[Signature]
[Title]

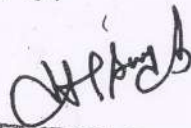


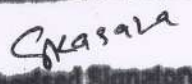
For State Department Use
Authorized Signature

[12]

आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

(ढ़) किराया किश्त केता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में व्यावसायिक भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहें, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त केता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायो के प्रति किराया किश्त केता के समस्त विद्यमान दायित्वो और बाध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त केता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।


व्यावसायिक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बनारस, उत्तरप्रदेश

For Shaktiya Builders Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

1934

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT
SUBJECT: [Illegible]



1934

1934

[13]

परन्तु किराया-किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हितकारी /हिताधिकारी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(ण) किराया-किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से छः माह की छूट दी जायेगी।

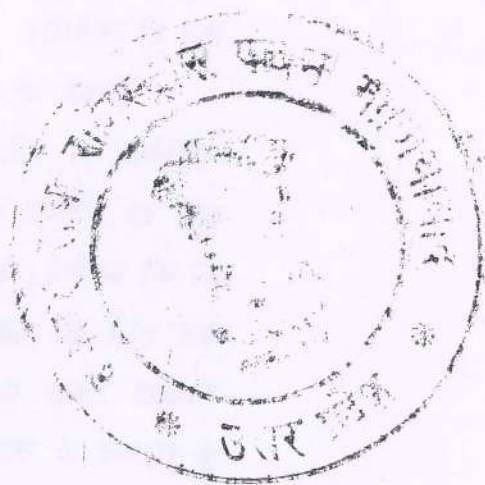
किश्त के भुगतान के विलम्ब की दशा में किश्त की धनराशि के अतिरिक्त 11 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज कुल 13 प्रतिशत ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना सम्पूर्ण डिफाल्टेड किश्त पर की जायेगी। लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया किश्त क्रेता का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा

सहायक अधीक्षक आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
बभुनसा, धनबाद

For Shaktiya Real Estate Pvt. Ltd.
SK Agala
Authorized Signatory

1954

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States of America.



UNITED STATES OF AMERICA

Washington, D.C.

[14]

विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

(त) यदि किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस एंग से करता है कि उसे क्षति पहुंचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिए उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिए स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रकार का भुगतान करेगा।

(थ) यदि किराया-किश्त क्रेता किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई जॉच की जाएगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा,

सहायक अध्यक्ष आयुक्त
उ०प्र० नगरपालिका विकास परिषद्
बसुन्धरा, काठमाडौं

For Shalvya Real Estate Pvt. Ltd.
S. Kasala
Authorized Signatory

A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The text "UNIVERSITY OF TORONTO" is curved along the top inner edge, and "LIBRARIES" is curved along the bottom inner edge. In the center, the year "1974" is printed. The stamp is slightly faded and has some dark specks.

[15]

किराया-किश्त कंता द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किश्त कंता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और किराया-किश्त कंता द्वारा इस प्रकार जमा की गई धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(घ) स्वामी एतद्द्वारा सहमत है कि किराया-किश्त कंता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गई सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी किरायेदार एतद्द्वारा किराया-किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकर में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के

सहायक अध्यक्ष आयुक्त
उप-प्रमुख एवं निवास परिषद
मुख्य अधिकारी

For Shaktiya Real Estate Pvt. Ltd.
S. K. S. S.
Authorized Signatory

[16]

परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात् विनिश्चय किया जाये, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जायेगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

(न) उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा भूखण्ड के कब्जे की दिनांक से 05 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करायेगा।

3 स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता को किराया किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायो को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता

सहायक अध्यक्ष आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बभुनवरा, गजियाबाद

For Shakti Real Estate Pvt. Ltd.

SK 99929
Authorized Signatory

10-21-68

[17]

इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा-5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किए जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4 हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया-किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया-किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

5 यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निवर्चन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया-किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

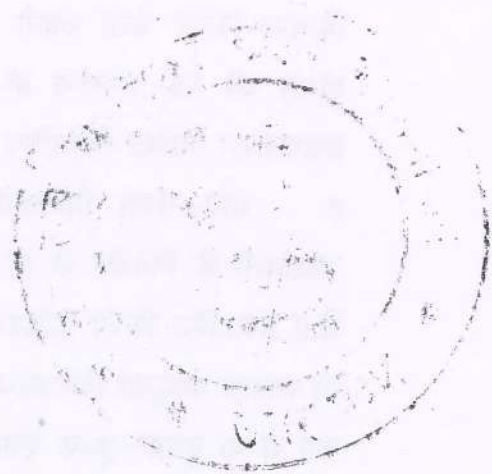
सहायक आयुक्त
उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गांधीनगर

For Shalika Housing Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

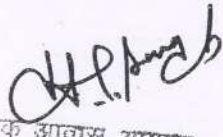


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

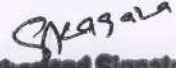
LIBRARY

[18]

- 6 किराया—किश्त केता कब्जा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।
- 7 प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।
- 8 व्यावसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- 9 विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।
- 10 व्यावसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 11 विक्रय विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किश्त केता का होगा। उक्त विलेख में उल्लिखित नियमों व प्राविधानों में विक्रय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व अथवा बाद में समय—समय पर बनाये गये शासन/ परिषद के नियम केता को मान्य होंगे।


सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बगुनारा, गाजियाबाद

For Shalviya Builders Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN~~

viologinB *bscA*

[19]

जिसके साक्ष्य में श्री हेतम पाल सिंह, सहायक आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री शम्मी पुत्र श्री बिजेन्द्र निवासी-51, औरंगाबाद रिस्तल गाजियाबाद 201003 के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची-एक

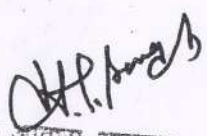
सिद्धार्थ विहार योजना सैक्टर संख्या 7 में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-
7C/Com-08 सम्पूर्ण व्यावसायिक भूखण्ड जिसमें क्षेत्रफल 918.40 वर्गमी०
भूमि समाविष्ट है
सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित हैं :-

उत्तर सलग्न

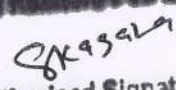
पूर्व साइट प्लान

दक्षिण के

पश्चिम..... अनुसार


सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
एतद्वारा

For Shalviya Real Estate Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

Palang:2 beshotua

[20]

अनुसूची-दो

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये:-

1-साक्षी :

1.हस्ताक्षर _____
2. नाम _____
3. पता _____

2-साक्षी :

1.हस्ताक्षर _____
2. नाम _____
3. पता _____

1-साक्षी :

1.हस्ताक्षर _____
2. नाम _____
3. पता _____

2-साक्षी :

1.हस्ताक्षर _____
2. नाम _____
3. पता _____

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बकुण्डरा, गाजियाबाद

सहायक आवास आयुक्त
(कृते आवास आयुक्त)

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

For Shalviya Real Estate Pvt. Ltd.

Signature

1. हस्ताक्षर _____
2. नाम - मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि०
के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री शम्मी पुत्र श्री
बिजेन्द्र निवासी-51, औरंगाबाद रिस्तल
गाजियाबाद 201003

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बकुण्डरा, गाजियाबाद

For Shalviya Real Estate Pvt. Ltd.
Signature
Authorised Signatory

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/1/01 BY 60322

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/1/01 BY 60322



[21]

अनुसूची-तीन

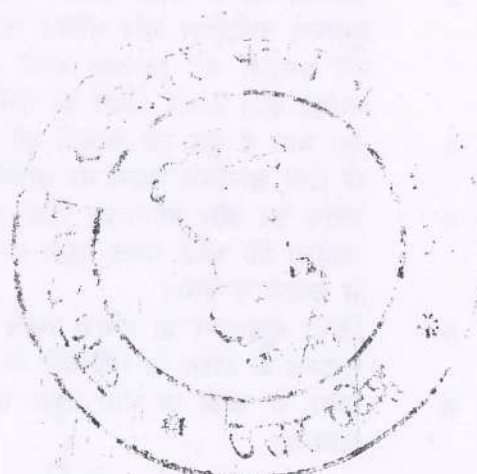
(किराया-किश्त क्रय अनुबन्ध का अनुलग्नक)

किराया-किश्त क्रय के उपबन्ध

- 1 यह उपबन्ध किराया-किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके व्यावसायिक भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालने करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 2 किराया-किश्त क्रेता अपने व्यावसायिक भूखण्ड के भीतर कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादार) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- 3 ऐसे पात्र में पड़ हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराए बिना इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर हटायेगा।
- 4 स्नान घर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार चीजों से रुकने न पायें।
- 5 किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त क्रेता के व्यावसायिक भूखण्ड के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
- 6 भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

सहायक निवास आयुक्त
उत्तम अग्रवाल एवं निवास परिषद
रजिस्ट्रार, गलियारा

For Shriya Rations Pvt. Ltd.
S/R 992
Authorized Signatory



For Distribution only
Ministry of Health

- 7 किराया किश्त कंता के व्यावसायिक भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- 8 व्यावसायिक भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- 10 प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- 11 प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसके किसी से कोई बिगाड़ने न पायें।
- 12 सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारो, साझा रास्ता, सीढ़ियों, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।
- 13 परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्बाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- 14 उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसे उल्लंघन के लिए किराया किश्त कंता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।
- 15 आवंटी परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेगें।

सहायक अधिकारी आयुक्त
उपनिवेश एवं विकास परिषद
बनारस, उत्तरप्रदेश

For Shaktiya Real Estate Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

- 16 व्यावसायिक भूखण्ड के निवेशकों / आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों / ग्राहकों को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा जब तक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता समाप्त होने एवं निवेशक/ आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक / आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
- 17 व्यावसायिक भूखण्ड सम्पत्तियों के आवंटियों को आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भूखण्ड/फ्लैट/सम्पत्ति की एग्रीमेन्ट टू सेल (Agreement to sale) के सापेक्ष जो भी विक्रय धनराशि (Sales Proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद के निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। यह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेन्ट टू सेल में उस दशा में होगी जब तक व जिस सीमा तक परिषद की किस्ते (धनराशि) आवंटी पर बकाया हो, प्रभावी रहेगी।
- 18 निवेशको (व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटी) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्रावधानों / शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को भू-राजस्व की भौति धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।
- 18 आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद का होगा।

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुधरा, गजिस्ताबाद

For Shalviya Real Estate Pvt. Ltd.

G. K. S. S. S.
Authorised Signatory

आवेदन सं०: 202100739040713

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 8601 के पृष्ठ 141 से 196 तक
क्रमांक 1381 पर दिनांक 31/03/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

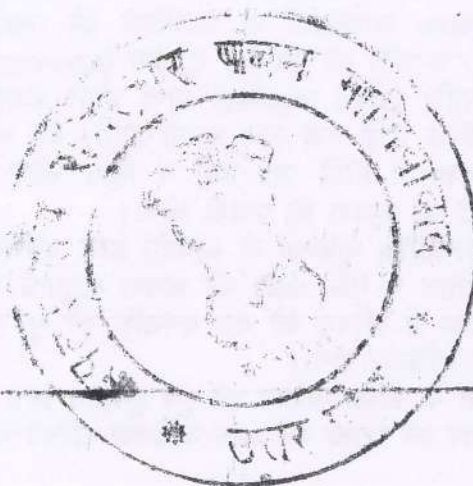
Handwritten signature

रघुवीर सिंह प्रभारी

उप निबंधक : सदर पंचम

गाजियाबाद

31/03/2021



गाजियाबाद जिला रजिस्ट्रार

पञ्चम

फोटो प्रपत्र

बही नं०	जिल्द	पृष्ठ सं०	लेखपत्र सं०	निबन्धन दिनांक	
					पक्षकारो के फोटो

नाम:-

सहायक आवास आयुक्त

पता:-स०प्र० कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, हॉल
संख्या-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा
गाजियाबाद, (उ०प्र०) पिन नं०-201012

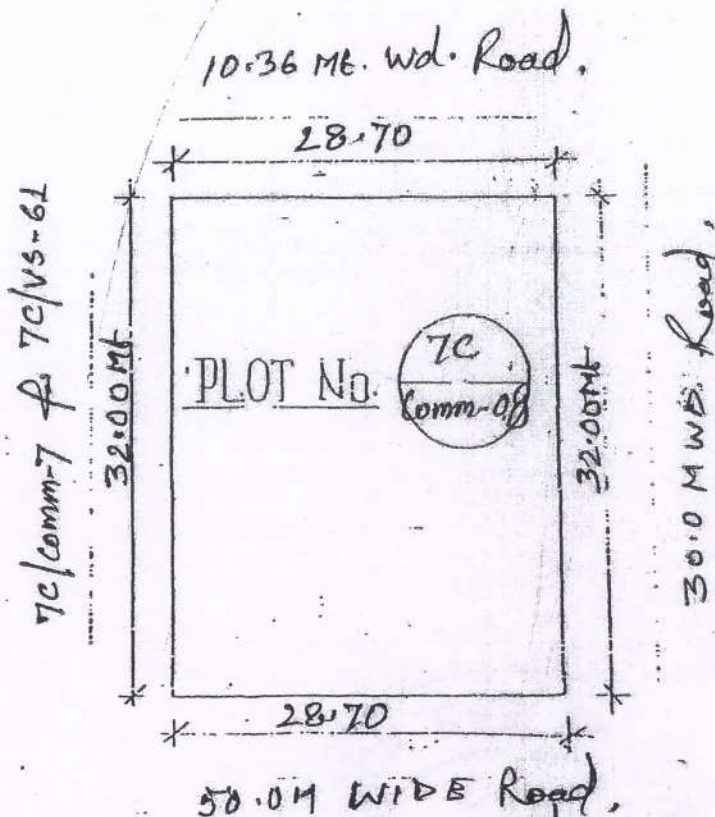


मैसर्स शालविया रियलटर्स प्रा०लि० के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री शम्मी
पुत्र श्री बिजेन्द्र निवासी-51, औरंगाबाद रिस्तल गाजियाबाद 201003



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
C.D.- 1st U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD.
SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD.

SITE PLAN OF PLOT No. Comm-08N SECTOR- 7C, SIDDHARTH VIHAR GZB
NAME OF ALLOTTEE:- मैसर्स शापथ रेसिडेंस प्रॉपर्टी प्राइवेट लि.



ISSUED AGAINST PAYMENT VIDE
RECEIPT: _____ DT. _____
REG. SL. NO. _____

N.T.S.



PLOT SIZE = 28.70 x 32.0 Mtr.
PLOT AREA = 918.40 Sq. mtr.

SEAL

सहायक आयुक्त
उपरोक्त आवास एवं विद्युत परिसर
वसुधारा, गझियाबाद

For Shapath Residences Pvt. Ltd.

Signature
Authorized Signatory

ALLOTTEE: G.

D./M.

T.E.

A.E.

12/24/3/2021

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

